



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026

बैशाख 4, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 6/2026/447/94-2-2026-700(13)-2026

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-247

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, जिला-अयोध्या की तहसील-सदर के ग्राम-मांझा जमथरा में स्थित 52.102 एकड़ नजूल भूमि जो विश्वस्तरीय मन्दिर संग्रहालय के सन्निर्माण/निर्माण के लिये परिलक्षित की गयी है, से सम्बंधित, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तथा तलाकृत फाउन्डेशन के मध्य निष्पादित होने वाले लाइसेन्स करार पर पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त लाइसेंस करार के रजिस्ट्रीकरण के समय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, छूट प्राप्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। संग्रहालय का परिचालन प्रारम्भ होने पर बैंक गारंटी अवमुक्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 6/2026/447/ XCIV-2-2026-700(13)-2026, dated April 24, 2026 :

No. 6/2026/447/ XCIV-2-2026-700(13)-2026

Dated Lucknow, April 24, 2026

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Official *Gazette*, is pleased to remit the stamp duty payable, under Article 35 of Schedule I-B of the aforesaid Act, on the License Agreement to be executed between the Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh and Talakrit Foundation relating to the 52.102 acres of nazul land situated in Village-Manjha Jamthara, Tehsil-Sadar of District-Ayodhya that has been identified for construction/building of world class Temple Museum:

Provided that irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the Inspector General Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the registration officer at the time of registration of the aforesaid license agreement. Bank guarantee shall be released when the Museum will be operational.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 109 राजपत्र-2026-(227)-599 प्रतियाँ (डीटी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2026-(228)-100+50=150 प्रतियाँ (डीटी०पी०/ऑफसेट)।